पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2932
दिनांक- 29.12.2025

जोन- मध्य/ थाना-आशियाना

- **थाना आशियाना पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाले 02 शातिर चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी के सफेद व पीली धातु के आभूषण, 5000/-रू0 नगद एवं 01 अदद चोरी की मो0सा0 बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.12.2025 को वादी मुकदमा उपस्थित थाना हाजा आकर बावत विपक्षी द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर घुसकर नकदी एवं जेवरात चोरी करने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 458/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 29.12.2025 को थाना आशियाना की पुलिस टीम थाना स्थानीय से प्रस्थान कर मुकदमा उपरोक्त के अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी/तलाश पतारसी सुरागरसी में थाना क्षेत्र में मामूर थे कि तभी मुखबिरखास की सूचना के आधार पर अभियुक्तों 1. शनि कुमार उर्फ शनि बंजारा पुत्र स्व0 निवाले बंजारा निवासी घसियारी मोहल्ला बिजनौर बजार थाना बिजनौर लखनऊ स्थायी पता सेमरा कल्वना घूरपुर थाना घूरपुर यमुनानगर जनपद प्रयागराज उम्र करीब 26 वर्ष 2. लकी रैदास पुत्र बेगू निवासी घसियारी मोहल्ला बिजनौर बाजार थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष के पास से गिरफ्तारी/बरामदगी घटनास्थल देवीखेड़ा से इको गार्डेन की तरफ जाने वाली रोड पर चोरी के माल (जेवरात) कीमत लगभग रूपया 4,00,000/- एवं चोरी की मोटरसाइकिल पैसन प्रो संख्या UP32KQ6171 बरामद हुई।

बरामद माल थाना आशियाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 458/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस एवं थाना कृष्णानगर के मु0अ0सं0 602/2025 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस से संबंधित चोरी का माल है।

अतः अभियुक्तगणों के पास से बरामद माल के आधार पर अभियुक्तगणों उपरोक्त को दिनांक 29.12.2025 को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का तरीकाः-

1. अभियुक्तों के द्वारा घर का ताला तोड़कर घुसकर घर से नकदी एवं जेवरात चोरी करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. शनि कुमार उर्फ शनि बंजारा पुत्र स्व0 निवाले बंजारा निवासी घसियारी मोहल्ला बिजनौर बजार थाना बिजनौर लखनऊ स्थायी पता सेमरा कल्वना घूरपुर थाना घूरपुर यमुनानगर जनपद प्रयागराज उम्र करीब 26 वर्ष
2. लकी रैदास पुत्र बेगू निवासी घसियारी मोहल्ला बिजनौर बजार थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

04-अनावरित अभियोगों का विवरणः-

1. मु0अ0स0 458/2025 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ
2. मु0अ0सं0 602/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ

05-बरामदगी का विवरणः-

- एक अदद मोटरसाइकिल संख्या पैसन प्रो UP32KQ6171
- 04 अदद पीली धातु की अंगूठी
- 01 अदद पीली धातु का हार
- 01 जोडी पीली धातु की झुमकी
- 01 जोडी पीली धातु की टप्स
- 02 अदद पीली धातु का लाकेट
- 02 अदद पीली धातु के मंगलसूत्र का लाकेट
- 08 अदद सफेद धातु की बिछिया
- 01 जोडी सफेद धातु की पायजेब
- 01 जोडी सफेद धातु की बच्चे की पायजेब
- 03 जोडी सफेद धातु के बच्चे के हाथ के कंगन
- 01 अदद सफेद धातु का बच्चे का कमरबंद
- 02 अदद सफेद धातु के हाथ मे पहने जाने वाले पंचफूल
- 02 अदद सफेद धातु की अंगूठी
- 03 अदद सफेद धातु की पायल
- 5000/- रु0 नगद

कुल माल (जेवरात) की कीमत लगभग 4,00,000/- रूपये

06-आपराधिक इतिहासः- (शनि कुमार उर्फ शनि बंजारा)

1. मु0अ0सं0 154/2019 धारा 307 भादवि थाना बारा प्रयागराज
2. मु0अ0सं0 001/2020 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम बारा प्रयागराज

अन्य अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी की जा रही है।

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री छत्रपाल सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
2. उ0नि0 शुभम मेंहदियान थाना आशियाना लखनऊ।
3. उ0नि0 आलोक पाण्डेय थाना आशियाना लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री प्रतीक सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
5. उ0नि0 अभिषेक कुमार थाना आशियाना लखनऊ।
6. उ0नि0 मनीष सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
7. उ0नि0 आदर्श सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
8. हे0का0 अमर सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
9. का0चा0 सन्नी कुमार थाना आशियाना लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2931
दिनांक- 29.12.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 29.12.2025 को थाना स्थानीय की टीम द्वारा श्रीमान माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत सम्बन्धित एनबीड्ब्लू वाद सं 816/8 अ0सं0 97/07 धारा 323/504/506 भा0द0वि से सम्बन्धित एनबीडब्ल्यू वारण्टी हिमान्शू शुक्ला उर्फ पिंकू पुत्र मुनक मिश्रा निवासी 215/177 पाण्डेयगंज थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र लगभग 50 वर्ष को उसके घर से थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-नाम पता वारन्टी अभियुक्त-

1. हिमान्शू शुक्ला उर्फ पिंकू पुत्र मुनक मिश्रा निवासी 215/177 पाण्डेयगंज थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र लगभग 50 वर्ष

03-वाद अभियोग का विवरण:-

1. वाद सं 816/8 अ0सं0 97/07 धारा 323/504/506 भा0द0वि

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज लखनऊ
2. उ0नि0 रजत सिंह थाना वजीरगंज लखनऊ
3. का0 प्रदीप पाल थाना वजीरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2930

दिनांक–29.12.2025

पश्चिमी जोन/थाना तालकटोरा

- **कर्बला तालकटोरा से घोड़ा चोरी की घटना का सफल अनावरण ।**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गया घोड़ा "जुल्जना" बरामद ।**
- **थाना तालकटोरा व सर्विलांस, पश्चिमी जोन की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही--

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार तथा पुलिस उप आयुक्त, पश्चिमी एवं अपर पुलिस उप आयुक्त, पश्चिमी के निर्देशन में, सहायक पुलिस आयुक्त, बाजारखाला एवं प्रभारी निरीक्षक थाना तालकटोरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कर्बला तालकटोरा क्षेत्र से घोड़ा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त **छोटू वर्मा पुत्र रामू वर्मा**, निवासी नई चार मंजिल हंसखेड़ा, थाना पारा, लखनऊ (मूल पता – मलकादी सराय, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव), उम्र लगभग 25 वर्ष को **प्रेम डेयरी, थाना पारा क्षेत्र** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी गया घोड़ा **"जुल्जना (दूलदूल)" रंग सफेद**, जनपद उन्नाव से सकुशल बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर **मु0अ0सं0-263/2025, धारा 303(2) बीएनएस** में **धारा 317(2) बीएनएस** की वृद्धि की गई है। अभियोग में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **24.12.2025** को वादी मुकदमा **श्री सैय्यद फैजी पुत्र श्री अमीर अली**, निवासी कर्बला तालकटोरा, लखनऊ द्वारा अपने घोड़े **"जुल्जना (दूलदूल)" रंग सफेद** की चोरी के संबंध में थाना तालकटोरा पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना तालकटोरा पर **मु0अ0सं0-263/2025, धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए **पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी** द्वारा **प्रभारी निरीक्षक थाना तालकटोरा** के नेतृत्व में **02 पुलिस टीमों** का गठन किया गया, जिन्हें घटना के शीघ्र अनावरण एवं चोरी गए घोड़े की सकुशल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

गठित पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थापित **100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज** का गहन विश्लेषण किया गया। फुटेज के अवलोकन के उपरांत एक संदिग्ध अभियुक्त का नाम **छोटू वर्मा** प्रकाश में आया।

विवेचना के क्रम में वादी मुकदमा द्वारा सीसीटीवी फुटेज में दृष्टिगोचर व्यक्ति के संबंध में संदेह व्यक्त करते हुए उसे **पूर्व में लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अपने यहाँ कार्यरत** अभियुक्त **छोटू वर्मा** बताया गया। इसके पश्चात घटनास्थल एवं आस-पास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का पुनः सूक्ष्म अवलोकन किया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा घोड़े **"जुल्जना (दूलदूल)"** को अपने साथ ले जाते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया।

सर्विलांस टीम के सहयोग एवं उपलब्ध तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर फोटो एवं वीडियो के माध्यम से अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करते हुए पुलिस टीम द्वारा **प्रेम डेयरी, थाना पारा क्षेत्र** से अभियुक्त **छोटू वर्मा** को गिरफ्तार किया गया।

03-पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपने साले **फिरोज उर्फ भैय्या** के साथ मिलकर घोड़े की चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी गया घोड़ा बरामद किया गया। सहअभियुक्त फिरोज उर्फ भैय्या की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा प्रयास जारी हैं।

04-अपराध करने का तरीका-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त **छोटू वर्मा** पुत्र रामू वर्मा द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में **कर्बला तालकटोरा** क्षेत्र में कार्य कर चुका है, जिसके कारण उसे उक्त स्थान की भौतिक स्थिति, आवागमन के मार्गों तथा आसपास के परिवेश की पूर्ण जानकारी थी। इसी पूर्व परिचय एवं भौगोलिक जानकारी का दुरुपयोग करते हुए अभियुक्त ने अपने साले **फिरोज उर्फ भैय्या** के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर अवसर का लाभ उठाया तथा घोड़े की चोरी कर उक्त अपराध को कारित किया।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- **नाम** : छोटू वर्मा **पिता का नाम** : रामू वर्मा **उम्र** : लगभग 25 वर्ष
- **निवासी**: नई चार मंजिल हंसखेड़ा, थाना पारा, लखनऊ **मूल पता** : मलकादी सराय, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव

06-अपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0-151/2022 धारा 379/411 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ।

07-पंजीकृत अभियोग का विवरण

01-मु0अ0सं0-263/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना तालकटोरा लखनऊ।

08-बरामदगी का विवरण

चोरी गया घोड़ा "**जुल्जना** (दूलदूल)", रंग सफेद

09-गिरफ्तारी/अनावरण में सम्मिलित पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राघवेन्द्र – थाना तालकटोरा
2. उ0नि0 श्री रवि शंकर मौर्य – थाना तालकटोरा
3. हे0का0 आनंदमणि सिंह – थाना तालकटोरा
4. का0 नवीन प्रताप सिंह – थाना तालकटोरा
5. उ0नि0 श्री रंजीत सिंह – सर्विलांस प्रभारी, पश्चिमी जोन
6. हे0का0 वीर सिंह – सर्विलांस, पश्चिमी जोन

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2935
दिनांक 29.12.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **01 अदद लूटी गयी कार स्कार्पियो एन संख्या- RJ14UL4311 बरामद।**
- **एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद।**
- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.12.2025 को वादी श्री लोकेश मीणा पुत्र श्री बाबुलाल मीणा निवासी 7A लक्ष्मी कालोनी सीतापुरा थाना इण्डिया गेट जयपुर राजस्थान की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगणों द्वारा वादी व वादी के मित्र के साथ मारपीट करते हुये वादी की गाड़ी छीनकर मित्र सुमित को लेकर चले जाना व छोड़ने के नाम पर पैसों की मांग करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 28.12.2025 को मु0अ0सं0-1018/2025 धारा 309(6)/140(2) बीएनएस बनाम विनोद यादव व विनोद यादव के अन्य साथी अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

अभियोग के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया इन टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए मैनुअल एवं टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर किसान पथ के किनारे निजामपुर मझिगवा से काली स्कार्पियो एन कार नम्बर RJ14UL4311के साथ अपहृत **1. सुमित ब्याडवाड उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र श्री मुकेश मीणा निवासी चक घाटी मीणों का बाडबस्सी थाना कानोता जनपद जयपुर राजस्थान** तथा अपरहण करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों 1. विनोद कुमार यादव उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद यादव निवासी ग्राम सिंघावल थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर 2. सौरभ पाठक उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र राकेश पाठक निवासी ग्राम पूरे कालू पाठक का पुरवा थाना कुडवार जनपद सुल्तानपुर अन्य पता ग्राम जुगराजगढ थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर 3. मोहम्मद ताबीस खान उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र मोहम्मद हसन खान निवासी ग्राम सिंगरामऊ थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया।

अपहृत ने बताया कि इन लोगो ने उसे 27 तारीख को उसके दोस्त लोकेश मीणा की गाडी से अपहरण कर लिया था और मेरे दोस्त और मेरे घरवालों से पैसे की माँग कर रहे थे पहले ये लोग मुझे जौनपुर ले गये थे उसके बाद इधर उधर लेकर घूम रहे थे आज यहाँ लखनऊ लाये थे।

तत्पश्चात अपहृत लडके को पुलिस की सुपुर्दगी में लेते हुये अभियुक्तों की जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त विनोद कुमार यादव एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद हुआ।

अभियोग उपरोक्त में अभि0गण सौरभ पाठक व मोहम्मद ताबिश का नाम प्रकाश में लाते हुये व गाडी स्कार्पियो – एन कार नम्बर RJ14UL4311 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुये मु0अ0सं0 1018/2025 धारा 309(6)/140(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

<u>02- पूछताछ विवरण-</u>

अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग लोकेश मीणा के दोस्त हैं उसने हमसे अपने किसी काम के लिए करीब 4.5 लाख से 5 लाख रुपये लिये थे। हम लोगों ने कई बार लोकेश से अपने पैसे माँगे तो उसने पैसे देन से मना कर दिया था तो हम लोगों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई और दिनांक 27/12/2025 को लोकेश को मिलने के लिए लखनऊ बुलाया और जब लोकेश अपनी स्कार्पियो–एन कार से हमारे पास मिलने के लिए लखनऊ आया तो लोकेश के साथ हमारा पहले से परिचित लडका सुमित भी था तो हम लोगों ने लोकेश से अपने पैसे माँगे तो उसने हर बार की तरह हमारे पैसे देने से मना कर दिया तो हम लोगों में वहाँ कहासुनी हुई उसके बाद हम लोग लोकेश और सुमित को लोकेश की इसी कार से अपहरण कर अपने साथ ले जा रहे थे कि इतने में लोकेश हम लोगो से छूटकर के भाग गया तो हम लोग सुमित को अपहरण करके अपने साथ जौनपुर ले गये। उसके बाद ये लोग दो दिन तक लोकेश के घरवालों से अपने पैसे माँग रहे थे लेकिन उन्होनें पैसे नही दिये तो आज हम लोग लखनऊ आकर जानकारी कर रहे थे कि लोकेश कहाँ है और पैसों के लिए क्या व्यवस्था कर रहा है।

<u>03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—</u>

1.विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद यादव निवासी ग्राम सिंघावल थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र 29 वर्ष

2.सौरभ पाठक पुत्र राकेश पाठक निवासी ग्राम पूरे कालू पाठक का पुरवा थाना कुडवार जनपद सुल्तानपुर अन्य पता ग्राम जुगराजगढ थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर उम्र 20 वर्ष

3.मोहम्मद ताबीस खान पुत्र मोहम्मद हसन खान निवासी ग्राम सिंगरामऊ थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र 21 वर्ष

<u>04-पंजीकृत अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0 1018/2025 धारा 309(6)/140(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

<u>04- नाम पता अभियुक्त व आपराधिक इतिहास</u>

01.विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद यादव निवासी ग्राम सिंघावल थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र 29 वर्ष

- मु0अ0सं0 1018/2025 धारा 309(6)/140(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
- मु0अ0सं0 170/2021धारा 323/325/504/506भादवि थाना बदलापुर जनपद जौनपुर
- मु0अ0सं0 187/2021धारा 41/411/413भादवि थाना बदलापुर जनपद जौनपुर
- मु0अ0सं0 188/2021धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बदलापुर जनपद जौनपुर

- मु0अ0सं0 121/2018धारा 404/419/420भादवि थाना रामपुर जनपद जौनपुर
- मु0अ0सं0 115/2023धारा 8/20/29NDPS ACT थाना सिगरामऊ जनपद जौनपुर
- मु0अ0सं0 36/2024धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सिगरामऊ जनपद जौनपुर
- मु0अ0सं0 713/2023धारा 302/201/34/364 थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ
- मु0अ0सं0 002/2022धारा 8/20/29NDPS ACT थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ

02.सौरभ पाठक पुत्र राकेश पाठक निवासी ग्राम पूरे कालू पाठक का पुरवा थाना कुडवार जनपद सुल्तानपुर अन्य पता ग्राम जुगराजगढ थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर उम्र 20 वर्ष

- मु0अ0सं0 1018/2025 धारा 309(6)/140(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
- मु0अ0सं0 311/2022धारा 302 भादवि थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर

03.मोहम्मद ताबीस खान पुत्र मोहम्मद हसन खान निवासी ग्राम सिंगरामऊ थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र 21 वर्ष

- मु0अ0सं0 1018/2025 धारा 309(6)/140(2)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

06- बरामदगी-

- बरामद 01 अदद लूटी गयी कार स्कार्पियो-एन नम्बर RJ14 UL 4311
- एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम,जोन दक्षिणी कमिश्नरेट, लखनऊ।